(144)

आयुक्त/अध्यक्ष,

मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण की दिनांक 07-04-1989 को मसूरी में हुई बैठक का कार्यवृत्त तैयार किया गया है जो आपके सम्मुख अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है ।

12-4-89 12/4/89

सचिव । उपाध्यक्ष ।

14.4.89

मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 07-04-1989 में अधिकारियों/सदस्यों की उपस्थिति :-

1- श्री एस०एस०पांगती, आयुक्त/अध्यक्ष----

2- श्री प्रताप सिंह, उपाध्यक्ष, म०दे०वि०प्रा०

3- ~~सुश्री विभापुरी, जिलाधिकारी~~, देहरादून----सदस्य
एस०एस० एस०रावत अपर जिलाधिकारी (प्र०)

4- श्री जोत सिंह, अध्यक्ष, नगरपालिका मसूरी---सदस्य

5. प्रकाश नारायण सिंह, महाप्रबन्धक गढ़वाल जल संस्थान

6. वी०डी० कांडपाल वन संरक्षक यमुना वृत्त देहरादून।

7. अश्विनी कुमार प्रभागीय वनाधिकारी मसूरी.

8. (डा०) सुनील सैनन, सदस्य. मसूरी मास्टर प्लान पुनः निरीक्षण समिति,
विमल कुटीर, [illegible] मसूरी।

9. H.K. Soni AE. P.W.D. Dehradun

10 K.N. Kothiyal I/c General Manager, D.I.C, Dehra

11 K.L. Sah, Asstt. Director Tourism Mussoorie 7/4

12. U D Chaube Secretary M D D A Dehradun

13. H.K. Sharma [illegible] Town & Country Plng Deptt 7/4

14. आई० जे० सिंह संयुक्त निदेशक पर्यावरण 7/4

15 श्याम कृष्ण, विशेष कार्याधिकारी (वि०) 7/4

16. R K Gupta, Executive Engineer, UPSEB, Dehradun 7/4

(147)

दिनांक 7-4-1989 को मसूरी के मास्टर प्लान के बारे में आयोजित मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण की बैठक की कार्यवाही जो नगरपालिका, मसूरी के टाउन हॉल में आयोजित की गयी :-

---

उपस्थिति :-

1-	श्री एस0एस0पांगती, आयुक्त/अध्यक्ष	----- अध्यक्ष
2-	श्री प्रताप सिंह, उपाध्यक्ष	----- उपाध्यक्ष
3-	डॉ0 एम0ए0ए0खान, अपर जिलाधिकारी, देहरादून ।	----- प्रतिनिधि सदस्य
4-	श्री जोत सिंह, अध्यक्ष, नगरपालिका, मसूरी	----- सदस्य
5-	श्री श्यामकृष्ण, विशेष कार्याधिकारी, उ0प्र0शासन, लखनऊ ।	----- सदस्य
6-	श्री आई0पी0सिंह, संयुक्त निदेशक, पर्यावरण, लखनऊ ।	----- सदस्य
7-	श्री एच0के0शर्मा, वरिष्ठ नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग उ0प्र0 लखनऊ ।	----- सदस्य
8-	श्री बी0डी0कांडपाल, वन संरक्षक, यमुना वृत्त, देहरादून ।	----- सदस्य
9-	श्री के0एन0कोठियाल, सामान्य प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, देहरादून ।	----- सदस्य

विशेष आमंत्रित :-

1- डा0 सुनील सैनन, विमल कुटीर, मसूरी ।
2- श्री प्रकाश नारायण निगम, महाप्रबन्धक, गढ़वाल जल संस्थान, देहरादून ।

अन्य उपस्थिति :-

1- श्री यू0डी0चौबे, सचिव, मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून ।
2- श्री के0एल0साह, सहायक निदेशक, पर्यटन, मसूरी ।
3- श्री आर0के0गुप्ता, अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0राज्य विद्युत परिषद, दे0दून
4- श्री अश्विनी कुमार, प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी ।
5- श्री बृज0बी0रतन, सहयुक्त नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, दे0दून
6- श्री एच0के0सोनी, सहायक अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, सार्वजनिक निर्माण विभाग, देहरादून ।

दिनांक 7-4-89 को मसूरी के मास्टर प्लान के बारे में आयोजित मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण की नगर पालिका मसूरी के टाउन हॉल में आयोजित बैठक की कार्यवाही

विषय क्रमांक-1 गत बैठक की कार्यवाही की पुष्टि की गयी तथा अध्यक्ष महोदय द्वारा पुष्टि के स्वरूप कार्यवाही पंजिका में हस्ताक्षर किये गये । विकास शुल्क की वृद्धि के प्रस्ताव के बारे में ~~तथा दिनांक 24-2-89 की बैठक की कार्यवाही की अनुपालन आख्या के बारे में~~ अगली बैठक में विचार किये जाने का निर्णय लिया गया । इसी प्रकार अगली बैठक में दिनांक 24-2-89 की बैठक ~~की कार्यवाही की~~ व ~~अनुपालन आख्या तथा~~ इसके साथ-साथ इस बैठक की कार्यवाही की अनुपालन आख्या प्रेषित की जायेगी ।

विषय क्रमांक-02 :- मसूरी की महायोजना के प्रारूप का प्रस्तुतीकरण :-

मसूरी की महायोजना के लिए एक वर्णनात्मक प्राक्कथन नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग उ0प्र0 लखनऊ की ओर से पूर्व में सभी सदस्यों को प्रचारित किया गया था । मसूरी की पर्यावरण की समस्या के बारे में माननीय मंत्री जी डा0 अम्मार रिज़वी की अध्यक्षता में लखनऊ में आयोजित बैठक तथा उसके अनुसरण में दिनांक 21-2-89 को विशेष सचिव, पर्वतीय विकास विभाग की अध्यक्षता में देहरादून में आयोजित बैठक की कार्यवाही सम्यक अध्ययन हेतु सदस्यों को पूर्व में भेजी जा चुकी थी और साथ ही साथ डा0 सुनील सैनन को भी इस बैठक में इस विषय क्रमांक के लिए विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था ।

नगर नियोजन विभाग के प्रतिनिधि ने यह बताया कि माननीय मंत्री जी की अध्यक्षता में हुई बैठक तथा विशेष सचिव, पर्वतीय विकास विभाग की अध्यक्षता में देहरादून में आयोजित बैठक में दिये गये निर्देशों को इस महायोजना के प्रारूप को तैयार करते समय ध्यान में रखा गया है । वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा मसूरी का वर्तमान भूउपयोग, वर्तमान जनसंख्या, पर्यटन तथा व्यवसाय आदि के मानचित्र प्रस्तुत किये गये जिनके आधार पर महायोजना का प्रारूप तैयार किया जाना बताया गया । प्राधिकरण द्वारा एकमत से यह विनिश्चय दिया गया कि माननीय मंत्री जी की अध्यक्षता में तथा विशेष सचिव की अध्यक्षता में लिये गये निर्णयों को उचित सम्मान दिया जाये परन्तु जहां तक महायोजना को तैयार किये जाने का प्रश्न है, उसमें विधिक प्रक्रियां का कड़ाई से अनुपालन किया जाना अतिआवश्यक होगा ताकि महायोजना को विधिक संरचना के आधार पर भविष्य में चुनौती दिये जाने की संभावनाएं न रहे तथा जिन प्रयोजनों तथा उद्देश्यों से महायोजना बनायी गयी है,

उनकी पूर्ति हो सके । इस बात पर भी बल दिया गया कि महायोजना §Realistic REALISTIK§ होनी चाहिए ताकि बाद में उसमें देहरादून की महायोजना की भांति विसंगतियाँ प्रकट न होने पाए ।

मसूरी महायोजना का प्रारूप मानचित्र जिसमें वर्तमान व प्रस्तावित भूउपयोग दिखायें गये है, वरिष्ठ नियोजक द्वारा समझाया गया । विचारोपरान्त निम्नलिखित बिन्दुओं का समाधान करना आवश्यक पाया गया :-

1- मसूरी नगर क्षेत्र में लगभग 218 प्राईवेट एस्टेट निजी वन घोषित हैं । हालांकि इन एस्टेटस में कुछ भागों में पहले से निर्माण मौजूद है तथा निर्मित व विकसित क्षेत्र उपलब्ध है परन्तु अधिकांश भाग§कुछ निर्मित क्षेत्रों को छोडकर§घोषित निजी-वन की सीमा में आते है । यह भी पाया गया कि कुछ मामलों में प्राइवेट इस्टेट का क्षेत्र अधिक है जबकि प्राइवेट फारेस्ट घोषित भाग इससे कम है परन्तु ऐसी इस्टेटस की संख्या केवल 10-11 ही बतायी गयी और शेष इस्टेट्स का पूरा भाग प्राईवेट फोरेस्ट घोषित है । (बताया गया)

अत: प्राधिकरण द्वारा निर्देश दिये गये कि प्रत्येक एस्टेट को महायोजना में प्रदर्शित किया जाये तथा निजी-वन एस्टेट में जो अंश आवासीय रूप में (निर्मित व) विकसित है उसे आवासीय में तथा जो अंश वन में है उसे वन में दिखाया जायें । इसके साथ साथ जिन कुछ एस्टेट्स में सम्पूर्ण क्षेत्र विज्ञप्ति के अन्तर्गत निजी-वन घोषित नहीं है, उनका जितना अंश निजीवन घोषित है उतना अंश वन में दिखाया जायें तथा जितना अंश निजीवन में घोषित नहीं है उसकी स्थिति स्थल निरीक्षण के अनुसार यथास्थिति ~~यथा प्रस्तावित~~ दिखायी जाये । इस कार्य को पूरा करने के लिए सहयुक्त नगर नियोजक का स्टाफ सर्वे ऑफ इण्डियॉ के मानचित्र लेकर वन विभाग के कार्यालय में जायेंगें और वन विभाग के अधिकारी उस मानचित्र में नगर नियोजक के स्टाफ की सहायता से निजी वनों को प्रदर्शित करेंगें ।

इसके अतिरिक्त वन विभाग का 2इंच=1मील फारेस्ट मैप भी उपलब्ध है और इस मैप की भी सहायता ली जा सकती है । निजी वन को प्रदर्शित करने में जहां आवश्यकता हो स्थल निरीक्षण भी किया जायें । यह कार्य सोमवार दिनांक 10-4-1989 से प्रारम्भ करके दिनांक 30-4-1989 तक पूरा कर लिया जाये । इसे एक समयबद्ध योजना के अन्तर्गत पूरा करना आवश्यक होगा ।

क्रमश: ------4.

153

उपाध्यक्ष व अध्यक्ष नगरपालिका, मसूरी के इस मत पर सामान्य सहमति हुई कि कैमल्स बैक रोड की तरफ प्रस्तावित महायोजना प्रारूप के प्रस्तावित भूउपयोग में आवासीय क्षेत्र का जो प्रसार दिखाया गया है उसे न्यूनतम डेन्सिटी तक कम किया जाना आवश्यक है ताकि यहां अधिक निर्माण न हो । DTO सैनन ने भी ध्यान दिलाया कि वाटर शेड के स्त्रोतो की ओर भी उचित ध्यान देते हुए महायोजना को तैयार किया जाना चाहिए । इसके अतिरिक्त जहां पर पर्यटन परिसर व व्यवसायिक परिसर का भूउपयोग दिखाया गया है उन्हे ग्रीन में दिखाया जाना ज्यादा उपयुक्त होगा क्योंकि अलग से पर्यटन व व्यवसायिक परिसर दिखाने से बडे-बडे निर्माणों को बढ़ावा मिलेगा ।

मसूरी में जो प्रस्तावित आवासीय अनुपात है उसे कम किया जाना आवश्यक समझा गया और इसके स्थान पर ग्रीन अथवा वन का प्रस्तावित अनुपात बढ़ाया जाना आवश्यक है । अध्यक्ष, नगरपालिका, उपाध्यक्ष व DTO सैनन के इस सुझाव पर सामान्य सहमति हुई कि नये क्षेत्रों को निर्माण के लिए न खोला जाए और उन्हे खुले/वन क्षेत्र के रूप में छोड दिया जाय और वर्तमान निर्मित/विकसित क्षेत्र में ही निर्माण अनुमन्य किये जाये। इस क्षेत्र में भी बडे-बडे निर्माणों को हतोत्साहित किया जा सकेगा व छोटे-छोटे काटेजो/गेस्ट हाउसों के निर्माण को प्रोत्साहन मिलेगा।

मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण की आगामी बैठक दिनांक-15-5-1989 को मसूरी में होगी। इस बैठक में मसूरी की महायोजना का प्रारूप प्राधिकरण के विचारार्थ पुनः प्रस्तुत किया जायेगा ।

विषय क्रमांक :-3 :- मसूरी में कैम्पटी रोड पर कैम्पटी और उससे आगे पुरोला, बडकोट आदि स्थानों को जानेवाली गाडियों के लिए पार्किंग स्थल की व्यवस्था ।

इस विषय पर व्यापक रूप से विचार-विमर्श किया गया तथा शासन के पत्र को भी पढ़ा गया । अध्यक्ष सिटी बोर्ड, मसूरी ने बताया कि [illegible] कार-पार्किंग का विकल्प ढूढ़ने में कठिनाईयाँ आ रही है । उन्होनें यह भी बताया कि दूरगामी नीति में कार्ट मैकन्जी रोड से बाईपास तैयार हो जाने से मसूरी में कार-पार्किंग की समस्या में कुछ कमी हो सकती है परन्तु वर्तमान में कार-पार्किंग गांधी चौक से कम दूरी पर नियत किया जाना ही आवश्यक

(154) (161) (155)

गा । प्राधिकरण द्वारा इस सम्बन्ध में एक उप-समिति गठित की गयी जो ार-पार्किंग की वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध होने के बारे में स्थल निरीक्षण करके था इस विषय क्रमांक में दिये गये बिन्दुओं पर जांच करके अपनी आख्या प्रस्तुत करेगी । इस समिति के निम्नलिखित सदस्य होंगें :-

1- अध्यक्ष, सिटी बोर्ड, मसूरी जो इस समिति के अध्यक्ष होंगे ।

2- सहायक निदेशक, पर्यटन विभाग ।

3- उप-वन संरक्षक, मसूरी ।

4- सहायक अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड श्री एच०के०सोनी ।

5- सचिव, मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून ।

समिति आगामी बैठक में अपनी आख्या प्रेषित करेगी व [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] जायगी

विषय क्रमांक- 4 :- ग्राम फुलसनी, परगना पछवादून में भूउपयोग परिवर्तन हेतु श्री बृज पंजवानी का प्रार्थनापत्र ।

इस बिन्दु पर प्राधिकरण ने यह निर्देश दिये कि शासन को सूचित ...या जाये कि, आवेदक को सूचित किया जा रहा है कि विचाराधीन भूमि के ...रें में अपने भूस्वामित्व का प्रमाण, खसरा खतौनी तथा अन्य आवश्यक कागजात ... साथ प्राधिकरण कार्यालय में निर्धारित प्रक्रियां के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रेषित ...ें । इसके उपरान्त ही इस मामलें में जांच कार्यवाही करके प्राधिकरण का मत ...ष्ट किया जाना उचित होगा ।

विषय क्रमांक-5 :- हुसैनगंज, मसूरी में प्राधिकरण द्वारा 17-00 एकड भूमि को आवासीय प्रयोजन हेतु विकसित किये जाने के बारे में संयुक्त निरीक्षण ।

इस विषय पर प्रस्तावित स्थल की दक्षिण दिशा की ओर अर्थात ...ीचे की ओर लगभग एक तिहाई अंश को मानचित्र में बैठक में दिखाया गया ...ौर यह बताया गया कि इस स्थल का निरीक्षण अध्यक्ष, नगरपालिका, वन विभाग, ...था प्राधिकरण के अधिकारियों, कर्मचारियों द्वारा किया गया है । इस एक तिहाई ...ूमि का लेआउट तैयार करके आवासीय योजना का प्रारूप प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये ।

बैठक में अध्यक्ष, नगरपालिका, मसूरी ने यह प्रस्ताव रखा कि यह

क्रमशः--------6,

आवासीय योजना केवल मसूरी के निवासियों के लिये बनायी जाये परन्तु इसमें विधिक अड़चनों की संभावना बतायी गयी । अत: इसका विधिक परीक्षण करा लिया जाये । परन्तु यह सामान्य सहमति हुई कि मसूरी के निवासियों को प्राथमिकता दी जाय तथा समुचित अंश तक आरक्षण दिये जाने पर विचार किया जाय । लेआउट हेतु व्यापक सर्वे करने के उपरान्त मानचित्र वन विभाग के अधिकारियों को भी दिखा दिया जाये ताकि वह यह सुनिश्चित कर सके कि ~~तथा~~ नियत स्थल से अधिक क्षेत्र में आवासीय योजना ~~को प्रस्तावित नहीं की गयी~~

अन्त में अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद देते हुए बैठक समाप्त की गयी ।

मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून की आगामी बैठक दिनांक 15-5-1989 को मसूरी में होगी ।

॥उर्बादत्त चौबे॥	॥प्रताप सिंह॥	॥एस०एस०पांगती॥
सचिव,	उपाध्यक्ष,	आयुक्त/अध्यक्ष,
म०दे०वि०प्रा०,	म०दे०वि०प्रा०,	म०दे०वि०प्रा०,
देहरादून ।	देहरादून ।	देहरादून ।

पुष्ट किया जाता है

15.5.89